कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गाजीपुर।

पत्रसंख्याः 2018/17559/GZR/Ghazipur/122 दिनांकः– दिसम्बर 22, 2018

सेवामें,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य

हरिश्चन्द्र पब्लिक स्कूल

कवला, जखनियाँ, गाजीपुर।

विषयः– हरिश्चन्द्र पब्लिक स्कूल कवला जखनियाँ,गाजीपुर का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त सम्बन्ध में अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से हरिश्चन्द्र पब्लिक स्कूल कवला, जखनियाँ, गाजीपुर का अग्निशमन अधिकारी गाजीपुर के निरीक्षण आख्या के आधार पर विद्यालय जखनियाँ रेलवे क्रासिंग – सादात मार्ग पर स्थित है। निरीक्षण के समय निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः–

1– विद्यालय भवन जी + वन तल तक निर्मित है अग्निशमन के वाहन आ जा सकते है।

2– विद्यालय भवन का कर्वड एरिया 990.00 वर्ग मीटर है।

3– विद्यालय भवन की ऊँचाई 7.32 मीटर है।

4– भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था भारतीय मानक 2190:1992 के अनुरूप की गयी है जो निरीक्षण के समय कार्यशील एवं सन्तोषजनक दशा में उपलब्ध पाये गये।

5– विद्यालय भवन में फायर एलार्म का प्रावधान नियमानुसार किया जाना आवश्यक होगा।

6– विद्यालय भवन में होज रिल लगाना आवश्यक होगा।

अतः आवेदक को इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है कि उपरोक्तशर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतया पालन कर प्रत्येक वर्ष प्राथमिक अग्निशमन उपकरण/ सिस्टम को अग्निशमन विभाग से निरीक्षण / परीक्षण कराकर प्राप्त प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष कराया जाना तथा विहित फीस राजकीय कोष में जमा करना होगा। प्राथमिक अग्निशमन उपकरण/सिस्टम के अकार्यशील दशा में पाये जाने या अनुपलब्ध पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। यह प्रमाण–पत्र मात्र एक वर्ष या अग्निशमन व्यवस्था कियाशील रहने तक या दोनों में जो पहले हो तक के लिए मान्य होगा। निरीक्षण/परीक्षण कराने की पूर्ण जिम्मेवारी प्रबन्धक/प्रधानाचार्य की स्वयं की होगी।

22/12/18

(सुधर्म सिंह)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

प्रतिलिपि– अग्निशमन अधिकारी गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।